SHRI NABAM REBIA : Sir, we all know that he North-Eastern region, in general, and Arunachal Pradesh, in particular, could be the power house of this country, and could provide a solution to the national power problem. As per official estimates, the region has a power potential of 3400036000 MW, but I believe it is much more than that. The statement laid by the Minister is very inspiring and encouraging. There is a consolation; it is said that the Ranganasdi Hydel Project has been commissioned by NEEPCO. But, Madam, this 405 MW Hydel Project which was started during my school days is yet to be commissioned, to the best of my knowledge. If it has been commissioned, how many units it is generating and why there has been so much of delay in the implementation and execution of this project. This is part (a) of my supplementary.

Part (b) of my supplementary is, if you could kindly name some of the mega power projects of the region, particularly, In Arunachal Pradesh; at what stage the project is; and whether there is any DPR pending with the Ministry. This is the information I would like to seek from you.

श्रीमती जयवंती मेहता : दोयांग एवं रंगा नदी का अभी कमीश्न हुआ हैं । रंगा नदी 405 मेगावाट योजना का अभी उसका कमीशन हुआ हैं । आपने जो मेगा के बारे मे पूछा हैं, उसके बारे मे मैं यही बताना चाहती हूं कि सियांग और सुबांसिरी , लाअर , मिडिल और अपर , ऐसे 6 प्रोजेक्ट हैं तो मेगा पॉवर के रूप मे माने जाते हैं । सियाग और सुबान्सिरी करीब 20 हजार मेगावाट के हैं और उसमे अपर सिंयोग परियोजन 11 हजार मेगावट तक की हैं इसके लिए मैं यह बता सकती हूं कि स्टेज एक जो वह 2000 के दिस्मबर मे सीईए को सबमिट कर दी गयी हैं । 21.5.2001 को जो एमओईएफ से साईट का क्लियरेंस उनको प्राप्त हो चुका है और सेकेंड स्टेज की जो कार्यवाही हैं वह भी साथ – साथ चल रही हैं । इन्वायरनमेन्ट किल्यरेंस , फारेस्ट किल्यरेंस अलग-अलग प्रकार के सारे किलयरेंस यदि 2004 तक मे हो जाएंगे तो यह प्रोजेक्ट 2011 तक कंप्लीट हो सकते हैं और इसमे करीब- करीब 20 हजार मेगावट तक का विधुत उतपादन कर सकते हैं ।

Implementation of Parbati Hydro-electric project

*602. SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU) : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what progress has so for been made in the implementation of the Parbati-Hydro-electric Project (2051 MW);

(b) the share of power allocation form the project to Rajasthan, Himachal Pradesh and other States and on what terms;

(c) whether there still persists any dispute about the allocations of power among the States; and

(d) if so, the details thereof and the steps taken by Government to resolve the dispute as per the Memorandum of Understanding signed in the beginning of 1992?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI JAYAWANTI MEHTA) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Regarding implementation of Parbati Hydro-electric Project : The National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) has executed an Agreement with Government of Himachal Pradesh on 20.11.1998 for development of 2051 MW of hydro-electric power project in three stages on river Parbati in Kullu District of Himachal Pradesh.

The Government of India accorded approval in December, 1999 for taking up survey and investigation activities and preparation of Detialed Project Report (DPR) of the Parbati HE Project State-ll (800 MW) by NHPC for a cost of Rs. 77.62 crores. NHPC completed the survey and investigation activities and prepared a revised DPR for Parbati HE Project Stage-ll (800 MW) which was submitted to Central Electricity Authority (CEA) in October, 2000. CEA accorded Techno Economic Clearance (TEC) to the project in January, 2001. The process for obtaining investment decision to the cost estimate of the Parbati HE Project Stage-ll has been initiated.

A Memorandum of Understanding (MoU) had earlier been drawn on 20.10.1992 amongst the State of Rajasthan, Himachal Pradesh, Haryana and Gujarat and National Capital Territory of Delhi for investigation and execution of Parbati Hydro-electric Project Stage-ll and Stage-Ill and investigation of Parbati Stage-I HE Project and also the associated transmission system. This MoU had provided that 12 per cent of energy generated from the project shall be given to Himachal Pradesh free to cost and the remaining 88 per cent of

energy generated from the project was to be apportioned amongst the States, including Himachal Pradesh in the ratio of their equity participation.

In July, 1998, the Chief Minister, Himachal Pradesh conveyed to the Partner States of MoU of 1992 that the agreement entered in 1992 was not workable as some of the States had not been contributing their due share of equity, and as an alternative the Government of Himachal Pradesh and decided after considerable thought that the execution of the project be entrusted to a Central Public Sector Undertaking such as NHPC. Accordingly the Agreement was signed between the Government of Himachal Pradesh and NHPC on 20.11.1998 for execution of the three stages of the project in the Central Sector.

The Government of Himachal Pradesh also informed the Government of India that after the communication of July 1998 entrusting the execution of the project to a CPSU, the signing of the Agreement with NHPC on 20.11.1998, the MoU of 20.10.1992 stands abrogated.

The sharing of power generated from the Parbati Projects amongst the States/Union Territories in the Northern Region would be in keeping with the sharing guidelines applicable for Central Sector hydro stations.

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU) : Sir, it may be observed from the reply that a Memorandum of Understanding for sharing the cost and the power to be generated from the Parbati Hydro-electric Project was signed in 1992 between Rajasthan, Himachal Pradesh, Gujarat, Haryana and Delhi, where Rajasthan was to take equity shares and power allocation of 40 per cent, after accounting for 12 per cent free power to Himachal Pradesh; and a Sum of Rs. 7.3 crores was paid by Rajasthan towards its contribution. There is no mention of it in the reply.

However, on 20th November, 1998, the Himachal Pradesh SEB and the National Hydro-electric Power corporation (NHPC) entered into an agreement for execution of the same project, ignoring and side-tracking the participation and claims of Rajasthan altogether.

Since then the Government of Rajasthan has been trying to get justice under the original agreement of 992, under which it had already paid a substantial amount of Rs. 7.3 crores. The Chief Minister of Rajasthan even wrote a letter to the hon. Prime Minister on 4^{m} February, 2000 to intervene and to give Rajasthan its due share of power. My first supplementary is this. I would like to know from the hon. Minister whether an MoU, which has been entered into between the two States, can be abrogated unilaterally by one of then and what effective steps have since been taken to secure the due share of Rajasthan.

श्रीमती जयवंती मेहता : सम्मानीय सद्स्य ने जो प्रश्न पूछे हैं वह सही हैं , क्योंकि 20 अक्तूबर 1992 मे हिमाचल , राजस्थान , हरियाणा , गुजरात और दिल्ली, इन पांच राज्यों के बीच मे एक एमओयू साईन हुआ था । पार्वती नदी के ऊपर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जो यह एमओयू साईन हुआ उसमे निश्चित रूप से राजस्थान को 40 परसेंट , हरियाणा को 25 परसेंट गुजरात और दिल्ली को 15-15 प्रतिशत और हिमाचल को पांच प्रतिशत बिजली देने का करार उन लोगो ने किया था और उस समय उसके कार्यान्वयन के लिए इक्वटी प्रदान करने के लिए पांच राज्यों ने स्वीकार किया था, लेकिन 1992 से लेकर 1998 तक 6 वर्षो तक कुछ राज्यों ने अपनी इक्वटी का हिस्सा नहीं दिया , उसकी वजह से काम आगे नही बढ़ रहा था । इसलिए हिमाचल प्रदेश ने इस प्रोजेक्ट के लिए एनएचपीसी के साथ एमओयू साईन किया और एमओयू सईन करके इसके कार्यान्वन के लिए आगे निर्णय किया । जब यह दूसरा एनएचपीसी के साथ एमओयू साईन हुआ तो उस समय पहले वाला एमओयू रद्द हो गया । इसलिए उस समय जो तय किया गया था 40 प्रतिशत पॉवर देने के लिए राजस्थान का वह बचता नही हैं क्योंकि वह पूरा एमओयू रद्द हो चुका था । अब यह नया एमओयू साईन हुआ हैं, तो केन्द्र सरकार की बिजली के वितरण की नई व्यवस्था के आधार पर , नए फार्मूले के आधार पर ही राज्य सरकार की बिजली का आवट्न किया जा सकता हे । उस समय जो पत्र लिखा था राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने उसके जवाब मे माननीय कुमार मंगलम जी ने अपना उत्तर दे कर इस बात को स्पष्ट कर दिया था ।

SHRI AIMADUDDIN KHAN (Durru) : Sir, I have specifically asked the hon. Minister whether an MoU can be unilaterally abrogated by one State because it was unilaterally abrogated by one State. There is no mention of the reply from the hon. Prime Minister on this issue. In this connection, I would like to mention that natural resources

are national resources and the benefits of these resources cannot be confined to any individual State. Rajasthan is a State deprived of water and power resources, and has to depend on the adjoining States for it developmental needs. Therefore, agreements and Molls are signed with the neighbouring States like Himachal Pradesh and Punjab for sharing power; and they do have some sanctity. Now, in this case, Himachal Pradesh wishes to get away from its obligation of sharing power, by ignoring Rajasthan, under its agreement with the NHPC.

Sir, Rajasthan has all along been at disadvantage while sharing power with Punjab under the Indus River Agreement, and now, with Himachal Pradesh, it is facing the same problem and, again, begging for its due legal share. Will the hon. Minister assure this House that Rajasthan's due share will be secured under the 1992 MoU?

श्रीमती जयवंती मेहता : आपने जो सवाल पूछा हैं इसके प्रत्युत्तर मे मैं यह बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश ने एनएचपीसी के साथ मे जो एमओयू साईन किया , उसमे उन्होने इस प्रकार से मांग की थी जो 12 प्रतिशत फ्री पॉवर दी जाती हैं , वह 12 प्रतिशत फ्री पॉवर प्लॅस सैंटर एलोकेश्न के लिए जो 15 प्रतिशत पॉवर दी जाती हैं 15 प्रतिशत वह पॉवर और सैंटर एलोकेश्न का जो उसमे से मिलने वाला कोटा हैं , उसका जो परसेंटवाइज कोटा हैं वह पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश को दिया जाए , लेकिन हिमाचल प्रदेश से इस बात का आग्रह करने के बाद भारत सरकार के पास यह एम0 ओ0 यू0 मन्जूरी के लिए आया था। उसके प श्चात नॉदर्न रीजनल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक मिटिंग 18-12-2000 को हुई ओर उस मीटिग मे नॉदर्न रीजनल के सभी राज्यों ने हिमाचल प्रदेश की इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होने बताया की जब एन0एच0पी0सी0 इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन करने जा रही हैं और वह चूकि केन्द्र सरकार का एक उपक्रम हैं , इसलिए केन्द्र सरकार के उपक्रम को अपने सिध्दांतो और फॉर्मूले के आधार पर बिजली का आवंट्न करना चाहिए। ऎसी मांग उन्होने रखी और उस मीटीग़ हूए निर्णय के आधार पर ही यह तय किया गया कि जो फॉर्मूला और गाइडलाइस निर्धारित हैं, उसी के आधार पर पांचो राज्य को बिजली का आबंट्न किया जाएगा।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी ; माननीय सभापति जी,मैं आप के माध्य्म से माननीय मन्त्री से जानना चाहता हू कि राजस्थान, हिमाचल , हरियाणा और गुजरात राज्य के मध्य जो एम0 ओ0 यू0 साइन हुई थी , उस मे क्या गुजरात ने कोई इकिव्टी दी थी और क्या बाकी के राज्यों ने भी इकिव्टी प्रदान की थी ? साथ ही जब एन0 एच0 पी0 सी0 के साथ यह

समझौता हुआ तो क्या इ न राज्यों के हितो के बारे मे या इनके योगदान के बारे मे विचार किया था और अब जो स्थिति हैं, उस मे गुजरात प्रांत को कुछ बिजली अलग से प्राप्त होने वाली हैं ?

श्री मती जयवंती मेहता ; सभपती महादेय , इकिव्टी के बारे मे मैं यह कह सकूगी कि 7 करोड से कुछ अधिक इक्विटी का हिस्सा राजस्थान ने दिया था और बाकी के राज्यों का इक्विटी का हिस्सा मिला नही था , इसी कारण से वह काम जल्दी आगे नही बढ़ पाया महोदय, राजस्थान ने दिए हुए अपनी इक्विटी के हिस्से को फिर से मांगा था कि वह पैसा उन को वापिस मिल जाये क्योंकि उन्होने इक्विटी दी थी । उस बारे मे माननीय विधुत मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि वह पैसा आप ने हिमाचल प्रदेश को दिया था, उ से आप हिमाचल प्रदेश से ही वापिस ले सकते हैं क्योंकि एन0 एच0 पी0 सी0 को वह पैसा नही दिया गया था ।

महोदय, जहां तक गुजरात को बिजली प्रदाय के बारे मे पूछा गया, तो उसको भी सैंट्रल एलोकेश्न के फार्मूले और गाइड्लाइस के अधार पर ही बिजली का आबटन किया जाएगा । महोदय, आज इ स प्रोजेक्ट की दृष्टि से मैं सदन को जानकारी देना चाहुंगी कि उसे प्रि – पब्लिक इन्वेस्ट्मेट बोर्ड के पास भेजा गया हैं ओर आने वाली 22 मई को पी0आई0 बी0 की मिटिंग निर्धारित की गई हैं । महोदय , गुजरात नार्थ जोन मे नही आता हैं, वह वेस्टर्न जोन मे आता हैं, इसलिए सरप्ल्स बिजली जब बचेगी तो बचेगी तो उस मे से हम गुजरात को दे सकेगे । सर, उस के लिए हम ने एक फार्मूला बनाया हैं और जो स्टेट्स रिफ़ार्म्स करेगे , उन को प्रायेरिटी के ऊपर बिजली देगे ।मैं यहां उल्लेख करना चाहुंगी कि जो 12 प्रतिशत फ्री बिजली दी जाती हैं , वह होम स्टेट को दी जाती हैं और उस के पश्चात हम ने फार्मूले मे बदलाव किया हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकेगे कि जो राज्य उसे खरीदने की क्षमता रखते होगे, उन्ही को पैसा देगे व कॅश ऎड कॅरी सिस्ट्म को अपनाएगे और जो राज्य खरीदने मे सक्ष्म नही होग़ा बाहर के राज्यों को बेचेने के लिए भी हम उस का उपयोग कर सकते है ।

SHRI C. RAMACHANDRIAH : Sir, the hon. Minister has given a very exhaustive reply about the overall potential of the country and about the demand and supply, What I am trying to ascertain from the hon. Minister is this. I don't think it would be possible to execute these projects during whole of my life, with all the resource crunch that the country is facing. In such a caser, why don't you encourage small projects like canals? If there is 2000 cusecs of water in a canal, we can generate power and then the water can be

sent back to the main canal. Why isn't the Government contemplating to encourage mini hydel projects which can be executed within a very short period of time to meet the demands of the country? What exactly is the Government planning to strengthen institutions like the ERADA? Of course, it is handled by a different Ministry. But, after all, the propose to take to strengthen, ERADA? What proposals has the Government got in this regard?

श्री मती जयवंती मेहता ; माननीय सभापती महोदय , सम्मानीय सदस्य ने जो बात कही है, उससे हम लोग सहमत है । आपकी ओर से भी सूचनाए माइक्रो हाइड्ल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए मिली हैं , उसके बारे मे मैं बताना चाहूंगी कि अभी – अभी गैर – पंरपरागत ऊर्जा स्त्रोतो के मंत्री जी के साथ हमने मीटिंग की हैं और उसमे भी इसको अधिक प्रोत्साहित करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है और जो रेकिंग स्ट्डी की है, उसमे भी इसको लिया गया है । जो तीन मेगावाट से छोटे प्रोजेक्ट है , उसका उल्लेख मैने इस रैकिंग स्ट्डी के उत्तर मे नही किया है लेकिन उसकी भी रैकिंग स्ट्डी की गई है और उसका हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे । उसको भी हम प्रोत्साहन करने जा रहे है ।

श्री बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, मै माननीय महोदया से जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के बहुत छोटे – छोटे हिस्से है । एक तो आपका यह एनएनपीसी से 20 नवबंर , 1998 को समझौता हुआ, जैसा आपने बताया , लेकिन इसके पहले जुलाई , 1998 मे हिमाचल प्रदेश ने कह दिया था कि पहले वाला समझौता रद्द है । आप देखे , आप ही की दी हुई तरीख है, हिमाचल प्रदेश ने जुलाई मे ही कह दिया था कि 1992 वाला समझौता रद्द है, जिस पर आगे वह कोई काम नही कर सकेंगे । इसके बाद फिर नवंबर 1998 मे हिमाचल प्रदेश से आपका समझौता हुआ । कृपा करके आप यह बताए कि क्या समझौते के वक्त उन सब राज्यों को विश्वास मे लिया गया , जिनका समझौता किया गया ? मेरे प्रश्न का ए भाग तो यह है । बी भाग , राजस्थान ने इक्विटी शेयर देने की कोशिश की , सात या सवा सात करोड़ रूपए उसने दिए , लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, तो क्या राजस्थान के दावे पर या राजस्थान की भा गीदारी पर नए सिरे से विचार होगा?अंतिम महत्वपूर्ण भाग मेरे प्रश्न का यह है कि आप सारे देश के बिजली बोर्ड उसे खरीदेगे या जो भी इससे जुड़ॅ हुए राज्य है वह खरीदेंगे । उनसे पैसा वसूल करने के लिए आपकी क्या नई स्कीमे होगी? क्या आप इन्ही प्रचलित कानूनो के आधार पर, इन्हीं प्रचलित परंपराओ के आधार पर उनसे पैसा लेंगे ? इस तरह तो बिजली बोर्ड दिवालिया होते चले जा रहे है । बिजली ठप्प होती जा रही है , देश के बड़े हिस्से अंधेरे मे डूबते चले ज रहे है । क्या आप कोई ऎसा नया प्रावधान करेंगे , जिससे कि आपको पैसा वसूल करने मे दिक्कत न हो ? मंत्री महोदय बड़ी कृपा होगी , यदि आप इस पर थोड़ा विस्तार से बताएंगी ।

श्रीमती जयवंती मेहता . सभपति महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति की बात कही, उससे तो हम सहमत है । राज्य विधुत बोर्डो की जो यह वित्तीय स्थित बनी है , इसका कारण यही है कि वहां पर जितनी बिजली पैदा होती है उस बिजली की सही बिलिंग नही होती और जितनी बिलिंग होती है उतनी रिकवरी नही होती । इसी कारण उनकी वित्तीय अवस्था खराब होती चली गई है । आपको मै यह बताना चाह रही हूं कि अभी हमने जो पॉवर रिफ़ार्मस की दिशा मे ठोस कदम उठाए है, उसके आधार पर राज्य सरकारो की रिकवरी होनी शुरू हुई है । कई राज्यों मे हमारे साथ एमओयू साईन किया है । जो राज्य रिकवरी करने लगे है, उनकी वित्तीय अवस्था भी सुधर रही है । दूसरा , हिमाचल प्रदेश के बारे मे जो आपने पूछा , तो 1998 मे जो हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता हुआ वही समझौता अब उपयोग मे लिया जाएगा, पहले वाले समझौतो के बारे मे अब कोई विचार करना उचित नही होगा । वर्ष 1992 के समझौते का तो पहले ही स्टेट्स नही रहा, जब एनएचपीसी ने नया समझौता किया और उसी के आधार पर कार्यान्वयन किया जाएगा । आपने जो रिफ़ार्म की बात कही , मैने आपके सामने अपनी बात रखी है और मुझे यह कहने मे आनंद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता मे सारे मुख्यमंत्रियो की 3 मार्च, 2001 को जो मीटिंग हुई , उसमे पोलिटिकल मतभेदो को छोड़कर सभी मुख्यमंत्रियो ने अपना सहयोग जताया और मुझे विश्वास है कि सभी राज्यों से हर प्रकार से इसका समर्थन प्राप्त कर राज्य विधुत बोर्ड़ों की स्थिति मे सुधार होगा ।

श्री बालकवि बैरागी . सर , राजस्थान के संदर्भ मे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया है । राजस्थान ने आपको जो लगभग सात करोड़ रूपया दिया था, अब नए समझौते के आधार पर इस सारे मामले मे रजस्थान का क्या होगा ?

श्रीमती जयवंती मेहता : सर, इसके लिए पूर्व माननीय मंत्री कुमारमंगलम जी ने एक चिट्ठी लिखी थी । राजस्थान ने जो 7.3 करोड़ रूपया इसमें दिया था, उसके बारे में उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री अशोक जी को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि वह पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, जो वह हिमाचल प्रदेश से प्राप्त कर लें ।

श्री कृपाल परमार : सभापति महोदय , आपके माध्यम से मै माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पार्वती परियोजना तीन चरणो मे पूरा होने वाली थी , क्या अब इसको चरणबध्द तरीके से तीन चरणो मे पूरा किया जायेगा या तीनो चरणो को एक साथ शुरू किया जाएगा और उन तीनो चरणो के पूरा होने मे कितना समय लगेगा ?

मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि पिछले कई सालो से हिमाचल प्रदेश सरकार , जिसकी धरती पर बिजली का दोहन हो रहा है, केन्द्रीय सरकर के सामने जनरेशन टैक्स कि मांग रख रही है, क्या केन्द्रीय सरकार इस जनरेशन टैक्स की मांग को पूरा करने का विचार रखती है या नही और अगर नही तो क्यों ?

श्रीमती जयवंती मेहता . सभपति महोदय, माननीय सदस्य ने पार्वती नदी बनने वाली इस योजना के तीनो चरणो के बारे मे पूछा है कि इन तीनो पर एक साथ काम होगा ,या कैसे होगा इसकी जानकरी मे मै उन्हे बताना चाहती हूं कि स्टेज 2, जो 800 मेगावाट का है, 12 दिसम्बर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसक शिलान्यास किया था । स्टेज 1, जो 750 मेगावाट की योजना है, इसके बारे मे मै बताना चाहूंगी कि जून, 2000 मे इसके फर्स्ट स्टेज की क्लीअरेंस के लिए हमने ऎप्लाई किया था, लेकिन दिसम्बर , 2000 मे वह रिजेक्ट हॊ गया । उसके बाद एनएचपीसी ने फिर से ऎन्सायरमेंट क्लीअरेंस के लिए ऎप्लाई किया, जो अगस्त 2001 मे फिर से रिजेक्ट हो गया । एनएचपीसी ने इसके बाद एमओईएफ के साथ , मुख्य विधुत सचिव के साथ एक मीटिंग की और दोबारा उसको कंसीडर करने के लिए कहा , लेकिन वहा भी रिजेक्ट हो गया । इसलिए इसके बारे मे आज कुछ कहना मुझे उचित नही लगता ।

सैकिंड स्टेज के बारे मे मै यह जानकारी दे सकती हूं कि सैकिंड स्टेज के सर्वे – इन्वेस्टिगेशन के लिए 77.62 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था, जिसका उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्ट्र डेवलपमेंट , साइट आफीस और ऎप्रोच रोड वगैरह बनाने के लिए किया गया है । उसका रिवाइज्ड डीपीआर बन चुका है और उसका टीईसी जनवरी , 2000 मे मिल चुका है । इसको ऎन्वायरमेंट एंड फारेस्ट क्लीअरेंस भी मिल चुका है । 20 दिसम्बर , 2001 को उसक प्रि- पिआईबी भी हो चुका है,पीआईबी क्लीअरेंस के लिए वह लम्बित है । 20 मई को जो मीटिंग निर्धारित की गई है,चाहा उसमे उसके बारे मे विचार किया जाएगा और उसके पश्चात सीसीईए , केबिनेट आन इकनओमिक अफेयर्स की मंजूरी के बाद उसका काम शुरू होगा ।

तीसरी स्टेज 520 मेगावाट की है, उसका डीपीआर पहले हिमाचल विधुत बोर्ड ने बनाया थ, एनएचपीसी ने इसी डीपीआर की स्टडी की है और सीईए ने इसको कमर्शियली वायबल मान लिया है, उसकी आगे की कार्यवाही शुरू है ।

डा0 अबरार अहमद . सभापति महोदय, मै माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पांच राज्यों के विधुत के संबंध मे आपसी हित का एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था और इस समझौते के बारे मे मै माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह समझौता एकपक्षीय निरस्त हो सकता था ? सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने इस समझौते को रद्द कर दिया और बाकी चार राज्यों से उस संबंध मे कोई जानकारी नही ली । 1992 मे जो समझौता हुआ था, 1998 मे वह रद्द किया गया । उसके जवाब मे माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि कुछेक राज्यों ने अपने हिस्से का अंशदान नही दिया ।

मै मननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 6 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश ने कब-कब, किस-किस राज्य से कितनी-कितनी राशि मांगी , किन – किन राज्यों ने नही दी और राजस्थान , जिसने 7.25 करोड़ रूपया दे दिया है, उसके हक पर इतना बड़ा कुठाघात क्यों किया गया ? आपने अभी अपने जवाब मे बताया कि यह राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है और हिमाचल प्रदेश ही उसे देगा, मै जानना चाहता हूं कि क्या इसमे केन्द्रीय सरकार का कोई दायित्व नही बनता है या नही ? राजस्थान, जो अपना अंशदान दे चुका था, बिना उसे पूछे उस समझौते को रद्द कर दिया गया और अब अपना पैसा मांगने पर यदि यह कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश से बात करें और वही राशि देगा, यह सही नही है । तो मै जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का उसमे क्या दायित्व है , अन्य राज्यों की उसमे अंशपूंजी क्या-क्या थी, कितनी-कितनी थी और कब-कब वह मांगी गई ?

श्रीमती जयवंती मेहता . सभापती महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि 1992 मे जो समझौता हुआ , उसके पशचात हिमाचल प्रदेश ने कितनी बार किन-किन राज्यों से अपनी इक्वटी मांगने के लिए प्रयास किया । महोदय, यह सवाल केन्द्र सरकार से संबंधित नही है, यह सवाल राज्यों से संबंधित है । इसलिए मै इसका उत्तर देने मे समर्थ नही हूं आपने बताया कि राजस्थान मे आज बिजली का बहुत बड़ा संकट है । केन्द्र सरकार का विधुत मंत्रालय बराबर राजस्थान सरकार के साथ संपर्क मे है और जहां भी बिजली की अवश्यकता हो, केन्द्र सरकार उस संकट को दूर करने मे राजस्थान सरकार को पूरा सहयोग दे रही है । अपनी नीतियों के आधार पर आज विधुत मंत्रालय राजस्थान सरकार के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है ।

डा0 अबरार अहमद . सभापति महोदय, मै आपका संरक्षण चाहता हूं....(**व्यवधान**)

श्री सभापति . हो गया.... (**व्यवधान**)

डा0 अबरार अहमद . सभापति महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में यह बात कही गई है कुछ राज्यों ने इक्वटी का अंशदान नही दिया है .... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN : Nothing more. *(Interruptions) We* have already spent 45 minutes on two questions relating to power. *(Interruptions)*

श्री राजी शुक्ळ . सभापति महोदय, मै मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च , 2001 मे सांसदो को विधुत मंत्री जी का एक प्राप्त हुआ था जिसमे उन्होने कहा था कि इस देश मे डेढ़ लाख मेगावाट हाइड्रो- इलेक्ट्रिक पॉवर का पोटेंशियल है और इसके लेए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथाओरिटी बेसिनवाइज सर्वे कर रही है । मंत्री महोदय के उत्तर

से लगा कि यह सर्वे करीब-करीब पूरा हो गया है । उस पत्र मे यह कहा गया था कि विश्व बैंक की मदद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी । मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है ? मै यह भी जानना चाहता हूं कि जो आणविक ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात थी, उस दिश मे क्या प्रगति हुई है ?

श्रीमती जयवंती मेहता . सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आणविक ऊर्जा के बारे मे जो सवाल पूछा है, वह मेरे मंत्रालय से संबंधित नही है बल्कि उसका संबंध परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से है । इसलिए इस बारे मे मै इतना ही कहना चाहूंगी कि उस ऊर्जा स्रोत के बारे मे हमारा मंत्रालय भी चिंतित है और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के साथ सहयोग करके हम परमाणु ऊर्जा स्रोतो का प्रयोग बिजली निर्माण के कार्यो मे अवश्य करेंगे ।

सभापति महोदय, रैकिंग स्ट्डी के बारे मे मननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मै यह तो नही कह सकती कि उसकी पूरी रिपोर्ट बन चुकी है लेकिन अभी उस पर कार्य चल रहा है । उसके लिए विदेशी एजेंसियों का सहयोग लेने का प्रयास हम कर रहे है ।

*603. [The questioner (Dr. Aladi P. Raj Kumar) was absent. For Answer *vide* page infra. 72]

MR. CHAIRMAN: Now Question No. 604. Shrimati Savita Sharda.

सूती धागे के निर्यात मे कमी

*604 . **श्रीमती सविता शारदा** . क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि सूती धागे के निर्यात मे काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सूती धागे के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नही, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम) . (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) से (ग) सूती यार्न के निर्यात ने वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान मात्रात्मक रूप से बढोतरी के प्रवृति दर्शाई है । तथापि , वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान सूती थार्न के निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना मे गिरवाट की प्रवृति दर्शाई है । अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे मंदी की प्रवृति के कारण इसमे